सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश–272202
ई–मेलः registrar@suksn.edu.in
वेबसाइटः www.suksn.edu.in
मोबाइल नम्बरः 6388907621

SIDDHARTH UNIVERSITY
Kapilvastu, Siddharth Nagar, U.P. 272202
E-Mail Id: registrar@suksn.edu.in
Website: www.suksn.edu.in
Mobile Number: 6388907621

अधिसूचना

शोध पात्रता परीक्षा–2023–24

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर में विभिन्न विषयों में संचालित होने वाले पी–एच. डी. कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली शोध पात्रता परीक्षा–2023–24 के लिये अर्ह अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं। तत्सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तिथियाँ निम्नानुसार हैं–

क्रमांक	विवरण	तिथियाँ
1	ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन करने की तिथि	27.05.2024 से 16.06.2024
2	प्रवेशपत्र डाउनलोड करने की तिथि	18 जून, 2024 से
3	प्रवेश परीक्षा की तिथि	22.06.2024
4	प्रवेश परीक्षा के परिणाम की तिथि	30.06.2024

विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आवेदन शुल्क इस प्रकार निर्धारित है–

अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	**1500 रुपये**
अनुसूचित जाति/जनजाति	**1000 रुपये**

उक्त कार्यक्रमों हेतु विषयवार रिक्त सीटें, अर्हता, शुल्क, परीक्षा एवं प्रवेश–प्रक्रिया आदि से सम्बन्धित विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.suksn.edu.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश–परीक्षा से सम्बन्धित प्रामाणिक सूचनाओं के लिये नियमित रूप से विश्वविद्यालय की उक्त बेवसाइट को देखते रहें। विभिन्न विषयों की प्रवेश परीक्षा यूजीसी द्वारा जेआरएफ/नेट के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होगी।

नोट–*केवल वही अभ्यर्थी इस शोध पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अर्ह होंगे जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर परीक्षा 2023–24 में या उससे पूर्व उत्तीर्ण की हो।*

संलग्नक–शोध पात्रता परीक्षा–2023–24 विवरणिका।

27.05.24
कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 1269 /कु0स0का0/सि0वि0वि0/2024 दिनांक 27/05/2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कुलपति जी के निजी सचिव को, मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समन्वयक, शोध पात्रता परीक्षा–2023–24 को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
3. दैनिक समाचारपत्रों अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा के सम्मानित सम्पादकगण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने–अपने प्रतिष्ठित समाचारपत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए ऑनलाइन आवेदन करने सम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित करें।
5. गार्डफाइल में संरक्षित करने हेतु।

27.05.24
कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

Siddharth University Kapilvastu, Siddharthnagar

शोध पात्रता परीक्षा–2023–24

विवरणिका

Research Eligibility Test 2023-24 Brochure

शोध पात्रता परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ

- शोध पात्रता परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की तिथि–27.05.2024 से 16.06.2024 तक
- शोध पात्रता परीक्षा प्रवेशपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन प्रिंट करने की तिथि–18.06.2024 से
- शोध पात्रता परीक्षा– 22.06.2024

नोट : अन्तिम तिथि 16.06.2024 के बाद किसी भी दशा में प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र नही भरा जा सकेगा।

शोध पात्रता परीक्षा शुल्क विवरण

1. सामान्य एवं अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों हेतु : रू0 1500/–
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु : रू0 1000/–

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

शोध पात्रता प्रवेश परीक्षा–2023–24

विषयवार रिक्त सीट–संख्या :

कमांक	विषय	अर्हता	विषय कोड	सीट संख्या
1-	अंग्रेजी	स्नातकोत्तर अंग्रेजी	701	33
2-	हिन्दी	स्नातकोत्तर हिन्दी	702	55
3-	संस्कृत	स्नातकोत्तर संस्कृत	703	50
4-	उर्दू	स्नातकोत्तर उर्दू	704	12
5-	प्राचीन इतिहास	स्नातकोत्तर प्राचीन इतिहास	705	24
6-	इतिहास	स्नातकोत्तर इतिहास	706	17
7-	अर्थशास्त्र	स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र	707	16
8-	समाजशास्त्र	स्नातकोत्तर समाजशास्त्र	708	46
9-	राजनीति विज्ञान	स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान	709	55
10-	लोक प्रशासन	स्नातकोत्तर लोक प्रशासन	710	08
11-	वाणिज्य	स्नातकोत्तर वाणिज्य	712	28
12-	शिक्षाशास्त्र	स्नातकोत्तर शिक्षाशास्त्र	713	17
13-	भूगोल	स्नातकोत्तर भूगोल	715	52
14-	रसायन विज्ञान	स्नातकोत्तर रसायन विज्ञान	716	56
15-	भौतिक विज्ञान	स्नातकोत्तर भौतिक विज्ञान	717	34
16-	गणित	स्नातकोत्तर गणित	718	48
17-	प्राणी विज्ञान	स्नातकोत्तर प्राणी विज्ञान	719	38
18-	वनस्पति विज्ञान	स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान	720	26
19-	रक्षा अध्ययन	स्नातकोत्तर रक्षा अध्ययन	721	02
20-	बायोटेक्नालॉजी	स्नातकोत्तर बायोटेक्नालॉजी	722	07
21-	गृह विज्ञान	स्नातकोत्तर गृहविज्ञान	723	08
22-	मनोविज्ञान	स्नातकोत्तर मनोविज्ञान	724	08
23-	शिक्षक शिक्षा	एम. एड.	725	27
24-	प्रबन्धन अध्ययन	एम0बी0ए0 अथवा अन्य मान्य सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर	728	24

कुल = 691

नोटः

- उक्त सीटों की संख्या अनन्तिम है। शोध पात्रता परीक्षा–2023–24 का परीक्षाफल घोषित होने के समय शोध निर्देशकों के नाम और वर्गवार रिक्त सीटों की अन्तिम संख्या घोषित की जायेगी।
- **सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की शोध पात्रता परीक्षा–2023–24 एवं उससे सम्बन्धित प्रवेश तथा पी–एच.डी. पाठ्यकम संचालन की समस्त प्रकिया विश्वविद्यालय द्वारा नवनिर्मित पी–एच.डी. अध्यादेश–2024 के अनुसार सम्पन्न होगी। अतः विश्वविद्यालय के पीएच.डी. पाठ्यकमों में**

करने से पूर्व वे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में पीएच0डी0 कार्यक्रम से सम्बन्धित अर्हता (Eligibility criteria for admission to the Ph.D. programme); कार्यक्रम की अवधि (Duration of the programme); पी–एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया (Procedure for admission to the Ph.D. programme), शुल्क–संरचना (Fee Structure) तथा पीएच0डी0 कोर्स वर्क (Ph.D. Course Work) एवं उसके पाठ्यक्रम तथा अन्य नियमों–विनियमों इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण की जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो भाषाओं में उपलब्ध पी–एच0डी0 अध्यादेश–2024 का ध्यानपूर्वक अध्ययन अवश्य कर लें। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिये उक्त अध्यादेश ही मान्य होगा।

कुछ अन्य सामान्य निर्देश इस प्रकार हैं–

शोध पात्रता परीक्षा से सम्बन्धित सामान्य निर्देश :

1. प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट–www.suksn.edu.in पर दिये गये समस्त निर्देशों को भली–भाँति पढ़कर उनका पालन करते हुए आवेदन–पत्र में दी गयी सभी प्रविष्टियाँ सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन की किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
2. प्रत्येक संवर्ग (श्रेणी) के लिए कोड निर्धारित किये गये हैं। तदनुसार आवेदन–पत्र को सावधानी के साथ भरा जाना चाहिए। इसमें की गई त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व नवीनतम खिंचवाई गई स्पष्ट फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके अपने पास पेनड्राइव/सी0डी0 में सुरक्षित रख लें। ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरते समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी।
4. समस्त विषयों की परीक्षा एक ही दिन, एक ही समय में होगी। अतः प्रवेशार्थी जिस विषय में अर्ह है, उसी एक विषय में परीक्षा दे सकेगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में न तो वापस किया जायेगा और न ही अन्य पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित किया जायेगा।
6. प्रवेश लेते समय अभ्यर्थी को प्रव्रजन प्रमाण–पत्र तथा एक शपथ–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अपने पूर्ण और स्पष्ट हस्ताक्षर सहित भरकर अनिवार्यतः जमा करना होगा।
7. शोध पात्रता परीक्षा कुल 200 अंकों के लिये होगी एवं दो भागों (लिखित एवं साक्षात्कार) में सम्पन्न होगी। लिखित परीक्षा 140 अंकों के लिये होगी तथा साक्षात्कार शेष 60 अंकों के लिये होगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिये अर्ह होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर)/दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि के लिये पी–एच.डी. अध्यादेश–2024 के अनुसार व्यवस्था लागू होगी।
8. विदेशी अथवा प्रवासी अभ्यर्थियों पर पी–एच.डी. अध्यादेश–2024 में उल्लिखित व्यवस्था लागू होगी।
9. यूजीसी/सीएसआईआर/आईसीएआर अथवा अन्य मान्य संस्थाओं से नेट/जेआरएफ (NET/JRF) इत्यादि अन्य समकक्ष शोध अध्येतावृत्ति सम्बन्धी प्रतियोगी परीक्षाएँ उत्तीर्ण

अभ्यर्थी लिखित परीक्षा से छूट के हकदार होंगे। परन्तु उन्हें भी अन्य अभ्यर्थियों की तरह प्रवेश हेतु आवेदन करना होगा तथा साक्षात्कार में सम्मिलित होना आवश्यक होगा।

10. और शोध पात्रता परीक्षा के प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट अथवा उनके ईमेल पते के माध्यम से दी जायेगी। साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि पर अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना होगा। निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने पर साक्षात्कार हेतु पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।

11. शोध पात्रता परीक्षा मे उत्तीर्ण होने के लिये अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक हासिल करना आवश्यक होगा। इस परीक्षा मे उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही कोई परीक्षार्थी साक्षात्कार हेतु अर्ह होगा।

12. ***यदि भूल से किसी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है और उसे प्रवेश–पत्र निर्गत कर दिया जाता है, जिसे प्रवेश परीक्षा में बैठने का अधिकार न हो अथवा वह अर्ह न हो अथवा किसी अन्य कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र न हो तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह उसकी परीक्षा में बैठने की अनुमति अथवा उसके परीक्षाफल को निरस्त कर दे।***

13. साक्षात्कार के समय अर्हकारी परीक्षा की उत्तीर्णता का अंकपत्र तथा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14. शोधार्थियों हेतु समय–समय पर विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा संशोधित नियम, परिनियम लागू होंगे।

1. **आरक्षण (Reservation) :**

आरक्षण संवर्ग–

- प्रवेश के समय राज्य सरकार की अद्यतन नीति के अनुरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण देय होगा। इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र में यथा स्थान अधोलिखित तालिका को देखकर संवर्ग के साथ ही संवर्ग कोड लिखना अनिवार्य होगा। प्रवेश हेतु चुने गये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **उ0 प्र0 सरकार के शासनादेश के अनुसार निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।**
  - **आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों। महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम से निर्गत होना आवश्यक है। पति के नाम का अंकित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**
  - **नेट/जेआरएफ/सीएसआईआर (NET/JRF/CSIR) आदि प्रतियोगी परीक्षाएँ उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिस श्रेणी में उक्त परीक्षाएँ उत्तीर्ण होंगे, उन्हीं श्रेणियों में आवेदन के हकदार होंगे और उन्हीं श्रेणियों में उन्हें प्रवेश मिलेगा।**

तालिका / Table

संवर्ग	कोड संख्या	संवर्ग	कोड संख्या
अनारक्षित	01	अनुसूचित जाति	03
अन्य पिछड़ा वर्ग	02	अनुसूचित जनजाति	04
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	05		

2. शोध पंजीकरण प्रकिया (Research Registration Process):

(क) शोध पात्रता परीक्षा का अन्तिम परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित होगा। परिणाम घोषित होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जारी शोध पर्यवेक्षकों की सूची में से अपने विषय के शोध पर्यवेक्षक का सहमति पत्र (विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रारूप पर) तथा सेवारत अभ्यर्थियों को कोर्स वर्क हेतु 06 माह के अवकाश का प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक शोध अनुभाग में जमा करने के उपरान्त ही शोध प्रवेश शुल्क **(कोर्स वर्क फीस)** जमा करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(ख) प्रवेश की अनुमति प्राप्त होने पर अभ्यर्थी निर्धारित शोध शुल्क जमा करेगा। यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा कर देता है तो उसका पंजीकरण हो जायेगा और शुल्क जमा करने की तिथि से वह पंजीकृत माना जायेगा। उक्त तिथि तक यदि शोधार्थी शुल्क जमा नहीं करता है तो उसके प्रवेश का अधिकार स्वतः निरस्त हो जायेगा और प्रतीक्षा सूची में उसके बाद के स्थान पर निर्दिष्ट छात्र को अवसर दिया जायेगा।

(ग) कोर्स वर्क सम्बन्धी आवश्यक निर्देश :

1. विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय में स्थापित अध्ययन केन्द्र के कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी समय–सारिणी और कार्य–योजना के अनुरूप सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्ष / विभाग प्रभारी द्वारा कक्षाओं एवं अन्य गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में भी कक्षाएँ संचालित की जा सकती हैं। जिन दिनों में कक्षाएँ संचालित होंगी, उन दिनों में सम्बन्धित शोधार्थी द्वारा उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
3. कम्प्यूटर / प्रयोगशाला और पुस्तकालय की उपस्थिति पंजिका पर उक्त अवधि में शोधार्थियों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक अवधि के लिए अलग–अलग उपस्थिति पंजिकाएँ तैयार की जायेंगी।
5. प्रत्येक विषय के विभागाध्यक्ष / विभाग प्रभारी / उपस्थिति पंजिका को अपने हस्ताक्षर से सत्यापित करके अध्ययन केन्द्र समन्वयक को प्राप्त करायेंगे, जिसे प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराके प्रत्येक माह विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

(घ) कोर्स वर्क की फीस के रूप में प्रत्येक शोधार्थी को 20000 / (बीस हजार मात्र) भुगतान करने होंगे। पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर) अनु0जाति / अनु0 जनजाति एवं दृष्टि बाधित

एवं दिव्यांगो (40 प्रतिशत निःशक्तता) के लिए यह फीस 10000/(दस हजार मात्र) निर्धारित है।

(ङ) सभी प्रवेशित शोध छात्रों को 06 माह का कोर्स वर्क करना आवश्यक होगा।इसमें प्रत्येक विषय के शोधार्थियों को अपने–अपने विषय में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा।

(छ) विभागाध्यक्ष द्वारा कोर्स वर्क की समय सारणी, अध्ययन–अध्यापन, निरन्तर मूल्यांकन तथा आन्तरिक परीक्षाओं की व्यवस्था की जायेगी।

(ज) कोर्स वर्क की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एक शोधार्थी की प्रत्येक प्रश्नपत्र की सभी कक्षाओं में (लिखित एवं प्रायोगिक) न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

(झ) विश्वविद्यालय द्वारा कोर्स वर्क की परीक्षा करायी जायेगी, आन्तरिक मूल्यांकन सहित कोर्स वर्क परीक्षा में पास होने के लिए (सभी अभ्यर्थियों के लिए) प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा उसके समकक्ष ग्रेड (CGPA) प्राप्त करना अनिवार्य है।

(ञ) यदि कोई अभ्यर्थी कोर्स वर्क में फेल हो जाता है तो उसे अगले बैच के साथ कोर्स वर्क परीक्षा पास करने का एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा। इसके लिये उसे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

6. **समय–समय पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित नियम शोधार्थियों पर लागू होंगे।**
7. **किसी भी विवाद की स्थिति में विद्यापरिषद के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।**
8. **प्री पी–एच0डी0 कोर्स वर्क सफलता पूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को शोध निर्देशक एवं शोध केन्द्र नियमानुसार आवंटित किया जायेगा।**

****